बिहार विधान परिषद् सचिवालय

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2018:

नियम 3 - सचिवालय का संख्या-बल और संरचना :

(क) बिहार विधान परिषद् का एक अलग सचिवालय होगा जिसमें समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के उतने स्थायी पद होंगे जितने अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

परन्तु, सभापति, समय-समय पर वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या बढ़ाकर या घटाकर अथवा पद या पदों की कोई नई कोटि का सृजन कर तदनुरूप अनुसूची का संशोधन कर सकेंगे ।

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोटि अथवा नयी कोटि के अस्थायी पद/पदों का सृजन सभापति, आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् कर सकेंगे ।

नियम 5 - चयन समिति का गठन :

नियम-6 के उप नियम (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पद या पदों की किसी श्रेणी में चयन हेतु सभापति आवश्यकतानुसार चयन समिति का गठन कर सकेंगे जिसके संयोजक सभापति द्वारा नामित परिषद् सचिवालय के निदेशक अथवा उप सचिव होंगे और चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

(क) संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि

(उप सचिव से अन्यून पंक्ति का) - सदस्य

(ख) उप सचिव, बिहार विधान परिषद् (सभापति द्वारा मनोनीत) - सदस्य

परन्तु चयन समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से होंगे ।

नियम 6 - नियुक्ति प्राधिकार - (क) सचिव के पद पर नियुक्ति सभापति के परामर्श से बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के व्यक्तियों में से राज्यपाल करेंगे ।

(ख) अन्य सभी पदों पर नियुक्तियां सभापति करेंगे:

परन्तु सभापति, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सचिवालय के सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी को ऐसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट समूह-'ग' के किसी पद पर या पदों की किसी कोटि में भर्ती करने की अपनी शक्ति सौंप सकेंगे ।

नियम 7 - प्रोन्नति समिति का गठन:

सचिवालय में एक प्रोन्नति समिति होगी जिसमें संयोजक के रूप में सचिव और निम्नलिखित सदस्य प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समाविष्ट होंगे:

(क) निदेशक, बिहार विधान परिषद् (सभापति द्वारा मनोनीत)

अथवा

वरीय उप सचिव, बिहार विधान परिषद् - सदस्य

(निदेशक का पद रिक्त रहने की स्थिति में सभापति के द्वारा मनोनीत)

(ख) संसदीय कार्य विभाग , बिहार सरकार के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का)

अथवा

उप सचिव, बिहार विधान परिषद् (सभापति के द्वारा मनोनीत) - सदस्य

परन्तु प्रोन्नति समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से होंगे ।

नियम 17 - नियंत्रण और अनुशासन :- सचिवालय के सभी पदाधिकारी सभापति के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

नियम 18 - अनुशासनिक प्राधिकार - नियुक्ति प्राधिकार कर्मचारियों के अनुशासनिक प्राधिकार होंगे । नियुक्ति प्राधिकार अपचारी कर्मचारियों को निलंबित, उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, आरोप-पत्र निर्गत करने का आदेश दे सकेंगे या सचिवालय के ऐसा किए जाने वाले किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा ऐसा करवा सकेंगे और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 में निर्दिष्ट कोई शास्ति भी ऐसे कर्मचारी पर अधिरोपित कर या करवा सकेंगे ।

नियम 19 - अपील - (1) प्रत्येक पदाधिकारी को सचिव द्वारा मूलत: या अपील पर दिए गए किसी ऐसे आदेश के विरूद्ध सभापति के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसके द्वारा कोई दण्ड दिया या सम्पुष्ट किया गया हो ।

परन्तु जहां सचिव के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा मूलत: ऐसा आदेश दिया गया हो, वहां सचिव के पास ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की जाएगी।

(2) सभापति द्वारा मूलत: या अपील पर दिया गया आदेश अंतिम होगा ।

परन्तु सभापति स्वत: या पुनर्विलोकन का आवेदन किए जाने पर इस नियम के अधीन दिए गए अपने किसी आदेश को पुनरीक्षित या विखण्डित कर सकेंगे ।

(3) यदि अपीलकर्ता ऐसे अपील के ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से एक महीने की अवधि के अन्तर्गत अपील नहीं करता है तो इस नियम के तहत अपील की सुनवाई नहीं की जाएगी ।

नियम 22 - सेवा की अन्य शर्तें :- पदाधिकारियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले जिन अन्य विषयों के संबंध में इस नियमावली में उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, उन विषयों के संबंध में पदाधिकारीगण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय की समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू नियमों, आदेशों या निदेशों द्वारा शासित होंगे । परन्तु उनमें ऐसे रूपभेद, परिवर्तन या अपवाद किए जा सकेंगे जो सभापति वित्त विभाग से परामर्श करके, समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे ।

नियम 23 - शिथिलिकरण - सभापति किसी विशेष मामले में आवश्यक समझे जाने पर वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् आदेश से किसी नियम की अपेक्षाओं को उस हद तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अभिमुक्ति प्रदान या शिथिल कर सकेंगे ।

नियम 24 - कारबार का संव्यवहार - सभापति इस नियमावली एवं इसके प्रयोजनार्थ अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के प्रशासन से पैदा होने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर सुविधाजनक एवं कारगर कारबार के संव्यवहार के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपबंध कर सकेंगे ।

नियम 25 - निर्वचन - इस नियमावली के निर्वचनों से संबंधित सभी प्रश्न सभापति को निर्देशित किए जाएंगे, जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा ।

नियम 26 - अवशिष्ट शक्तियां - इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन, सभी विषय जो विनिर्दिष्टत: उपबंधित न हो, इस नियमावली में चाहे इस नियमावली के उपबंधों के आनुषंगिक या प्रासांगिक या अन्यथा हो, सभापति द्वारा समय-समय पर दिए गए ऐसे आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।